



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 3 नवम्बर, 2021

कार्तिक 12, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 4453/छ:-पु0-9-21-31(56)-2016

लखनऊ, 3 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

(प्रकीर्ण)

प0आ0-384

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया, गढ़ गंगा मेला, गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ में वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले मेले के लिए कानून व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था को नियंत्रित रखने हेतु प्रदेश के जनपद हापुड़ में जिलाधिकारी द्वारा तैनात किए गये यथावश्यक 25 नियमित सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा 10 रिजर्व सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा मेला स्थल पर तैनात किया जायेगा, को दिनांक 9 नवम्बर 2021 से 20 नवम्बर 2021 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियां, प्रदान करते हैं, जिनका प्रयोग वे हापुड़ जिले की सीमाओं के भीतर कर सकेंगे, जिसमें वे तत्समय तैनात हैं।

आज्ञा से,
बी०डी० पॉल्सन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4453/VI-P.-9-21-31(56)-2016 dated November 3, 2021:

No. 4453/VI-P.-9-21-31(56)-2016

Dated Lucknow, November 3, 2021

In exercise of the powers under section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint 25 Permanent Sector Magistrate and 10 Reserve Sector Magistrate place at Mela in district Hapur of Uttar Pradesh in Gargh Ganga Mela Year 2021 for maintain law & order in District-Hapur of U.P. as Executive Magistrates to be known as Special Executive Magistrates with effect from November 9, 2021 till November 20, 2021 and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said Code on such Executive Magistrates, to be exercised within the limits of respective district in Hapur which they are for the time being posted.

By order,
B.D. PAULSON,
Sachiv.